संख्या 277/2025/870/41-1-2025-CN 1791773-2023

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र० लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक: 22 मार्च, 2025

विषयः- जनपद अमरोहा के वि०स० हसनपुर में शिव मन्दिर, ग्राम फूलपुर विझनपुर का पर्यटन विकास कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं० 10801/6-1-1(मू०सी०)/रा०यो०/2024-25, दिनांक 17 मार्च, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अमरोहा के वि०स० हसनपुर में शिव मन्दिर, ग्राम फूलपुर विझनपुर का पर्यटन विकास कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए शासनादेश संख्या-196/2024/557/41-1-2024-001-CN-1791773-2024, दिनांक 26 फरवरी, 2024 द्वारा रू० 116.39 लाख (जी०एस०टी० सहित) (नामित कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की आंकलित लागत रु० 113.50 लाख एवं उ०प्र० ललित कला अकादमी द्वारा कराये जाने वाले म्यूरल आर्ट कार्यों की आंकलित लागत रू0 2.89 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू 39.44 लाख (रू० उनतालीस लाख चौवालीस हजार मात्र) की धनराशि को अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु पूर्व में निर्गत पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-196/2024/557/41-1-2024-001-CN-1791773-2024, दिनांक 26 फरवरी, 2024 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2024/बी-1-294/दस 2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी०एस०टी०) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी०एस०टी० भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक, पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिद्धित किया कि कार्यों की उनकोटि की ही तथा समय समय कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिक्षित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिडित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिक्षित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पनि का समुचित रख रखाव सुनिक्षित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) प्रश्नगत परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में विल (आय व्ययक) अनुभाग : के शासनादेश संख्या 07/2017/बी 1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया गया। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत परियोजना की द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एव पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्न प्रतिहस्ताक्षारित कराये हुये (तिथि साहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कि जायेंगे।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(13) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बंचित ताइले उपकरणों का 3000 रनकरणका विकास अधिकरण (UPNEDA) से निधानुसार कय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) परियोजना के कार्य पूर्व होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध कराणी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलबान कराये जाने की स्थिति में उका कुसको अनिमिया मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक अपर परियोजना प्रबंधक एवं ठेकेदार के विनिनुसार प्रथम सूचना रिधोर्ट (एफ० आई० आर दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय सम्बन्चित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यथ स्० 39.44 लाख (रू० उनतालीस लाख चौवालीस हजार माऊ को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्ष 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-2/2024/बी 1-294/दस-2024 231/2024. दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2.महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3.निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन ।
4.जिलाधिकारी, अमरोहा ।
5.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6.प्रबन्ध निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज (सी० एण्ड डी०एस०) ।
7.वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8.क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना) पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
9.उप निदेशक, पर्यटन, बरेली/मुरादाबाद मण्डल ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।